

प्रेषक,

श्याम सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 01 नवम्बर, 2023

विषय- लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत विभिन्न मोटर मार्गों में सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नोडल अधिकारी (रोड सेफ्टी), लोक निर्माण विभाग, देहरादून के पत्र संख्या-5176/11(1) याता० (क)-उ०/2023, दिनांक 01.08.2023 एवं पत्र संख्या-5751/11(1) याता० (क)-उ०/2023, दिनांक 23.08.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग के विभागीय बजट में सड़क सुरक्षा मद के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों का अनुमोदन प्रदान किए जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- उक्त पत्रों के साथ संलग्न जिला सड़क सुरक्षा समिति की संस्तुति के क्रम में निम्नलिखित 38 कार्यों पर रू० 9304.50 लाख (रू० तिरानबे करोड़ चार लाख पचास हजार मात्र) सड़क सुरक्षा मद से व्यय किये जाने की सहमति निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

क्र. सं०	कार्य का नाम	धनराशि (रू.लाख में)	
		मार्ग की कुल लम्बाई(किमी०)	लागत (रू० लाख में)
1.	सड़क सुरक्षा मद के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में प्रा०ख०, बागेश्वर के अधीन राज्य मार्गों में सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत क्लेश बैरियर पैरापेट, डेलीनेटर, साईनेज आदि का कार्य।	42.00	535.38
	1. बागेश्वर-गिरेछीना-सोमेश्वर-द्वाराहाट-विमाण्डेश्वर-ईड़ा-रानीखेत मोटर मार्ग। राज्य मार्ग संख्या-58 (किमी 1 से किमी० 20) (लम्बाई-20) किमी०		
	2. डंगोली-सैलानी-दाड़िमखेत-जाख-हड़बाड-पन्द्रहपाली-बालीघाट दोफाड़-धरमघर-कोटमन्या-पॉखू-सातसिंग मो०मार्ग। राज्य मार्ग सं-60 (किमी० 1 से किमी० 22) (लम्बाई 22 किमी०)		
2.	सड़क सुरक्षा मद के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में प्रा०ख०, लो०नि०वि० बागेश्वर के अधीन मुख्य जिला मार्गों में सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत क्लेश बैरियर, पैरापेट, डेलीनेटर, साईनेज आदि का कार्य।	101.50	253.84
	1. डंगोली-स्याली-छटिया-हरिनगरी-कुलाऊ-ग्वालदम मोटर मार्ग। किमी० 1 से किमी० 17 (लम्बाई 17 किमी०)		
	2. काण्डा-सानिउडियार-रावतसेरा-बॉसपटान मोटर मार्ग। (लम्बाई 37 किमी०)		
	3. बागेश्वर-दफौट मोटर मार्ग। (लम्बाई 25 किमी०)		
	4. पौड़ीबैण्ड-पालड़ीछीना-झिरौली-काफलीगैर मोटर मार्ग। (लम्बाई 22.50 किमी०)		
3.	सड़क सुरक्षा मद के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में प्रा०ख०, लो०नि०वि० बागेश्वर के अधीन अन्य जिला मार्गों में सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत क्लेश बैरियर, पैरापेट, डेलीनेटर, साईनेज आदि का कार्य।	60.420	287.27
	1. अमसरकोट-सात रतवे मोटर मार्ग। किमी० 1 से किमी० 9 (लम्बाई 9 किमी०)		
	2. चौगाँवछीना-खर्कटम्टा-जोशीगाँव मोटर मार्ग। किमी० 1-3.60 (लं० 3.6 किमी०)		
	3. कठपुडियाछीना-सेराघाट मोटर मार्ग। किमी० 1 से किमी० 16 (लम्बाई 16 किमी०)		
	4. बैजनाथ-बिनखोली मोटर मार्ग। किमी० 1 से किमी० 5 (लम्बाई 5 किमी०)		
	5. गरुड-कपकोट-फल्याटी मोटर मार्ग। किमी० 1 से किमी० 9 (लम्बाई 9 किमी०)		

	6. अकुडाई-अणा-लोहारचौरा-गैरलेख से पथरिया मो0मार्ग। किमी0 1-12 (लं0 12 किमी0)		
	7. राज्य अतिथि गृह कौसानी मोटर मार्ग। (लम्बाई 2.50 किमी0)		
	8. पं0 बदीदत्त राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बागेश्वर पहुँच मो0मार्ग। (लं0 0.26 किमी0)		
	9. जिलाधिकारी कार्यालय पहुँच मोटर मार्ग। (लम्बाई-2.50 किमी0)		
	10. निरीक्षण भवन पहुँच मोटर मार्ग। (लम्बाई 0.40 किमी0)		
	11. जिला चिकित्सालय पहुँच मोटर मार्ग। (लम्बाई-0.41 किमी0)		
	12. जिला जजी मोटर मार्ग। (लम्बाई 2 किमी0)		
4.	सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत में ललुवापानी-बनलेख मोटर मार्ग में क्रैश बैरियर, डेलीनेटर, साईन बोर्ड इत्यादि का कार्य (राज्य मार्ग सं0-111)।	8.26	75.64
5.	सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत पुनावे-सिप्टी-न्याड़ी मोटर मार्गों में क्रैश बैरियर, डेलीनेटर, साईन बोर्ड का कार्य (मुख्य जिला मार्ग)।	18.00	119.94
6.	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0-417/2023 के अन्तर्गत सड़क सुरक्षा मद में निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 लोहाघाट के महत्वपूर्ण मोटर मार्गों (राज्य मार्ग सं0-10, राज्य मार्ग सं0-57, मुख्य जिला मार्ग एवं अन्य जिला मार्ग) में सड़क सुरक्षा के कार्य।	175.92	474.42
7.	सड़क सुरक्षा योजना वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट के प्रा0ख0 लो0नि0वि0, रानीखेत में प्रमुख जिला मार्गों में सड़क सुरक्षा हेतु क्रैश बैरियर, पैरापिट एवं साईन बोर्ड इत्यादि का कार्य।	87.60	181.86
	1. मरचूला-स्याल्दे-देघाट मोटर मार्ग। (लम्बाई 34.60 कि0मी0)		
	2. चौबटिया-कुनलाखेत-बमनस्युँ मोटर मार्ग। (लम्बाई 22.00 कि0मी0)		
	3. चिमटाखाल-भौनखाल-भतरौंजखाल मोटर मार्ग। (लम्बाई 31.00 कि0मी0)		
8.	सड़क सुरक्षा योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट में प्रा0ख0 लो0नि0वि0, रानीखेत में विभिन्न अन्य जिला मार्गों में सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत क्रैश बैरियर, पैरापिट, साईनेज का कार्य।	60.59	95.39
	1. ब्लॉक आफिस स्याल्दे पहुँच मार्ग (लम्बाई 1 कि0मी0)		
	2. निरीक्षण भवन स्याल्दे पहुँच मार्ग (लम्बाई 0.36 कि0मी0)		
	3. देघाट-खलडुवा मोटर मार्ग (लम्बाई 2.00 कि0मी0)		
	4. गनियाद्योली-सिंगोली-अम्याड़ी मोटर मार्ग (लम्बाई 14.00 कि0मी0)		
	5. चमखला-क्वैरला-डभरा मोटर मार्ग (लम्बाई 11.00 कि0मी0)		
	6. भौनखाल-तड़म मार्ग (लम्बाई 5.00 कि0मी0)		
	7. मछोड़-जाख मोटर मार्ग (लम्बाई 9.43 कि0मी0)		
	8. पेसिया-पिपना मोटर मार्ग (लम्बाई 17 कि0मी0)		
9.	सड़क सुरक्षा योजना वित्तीय वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट/रानीखेत में प्रा0ख0 लो0नि0वि0, रानीखेत के अधीन निम्नलिखित राज्य मार्गों में सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत क्रैश बैरियर, पैरापिट, डेलीनेटर, साईनेज का कार्य।	208.38	233.23
	1. खैरना-रानीखेत-मोहान राज्य मार्ग सं0-14 (लम्बाई 104.60 कि0मी0)		
	2. भिकियासैण-देघाट-बूंगीधार-मेहलचौरी-बछुवाबाण-चौखुटिया राज्य मार्ग सं0-33 (लम्बाई 37.775 कि0मी0)		
	3. थलीसैण-बूंगीधार-देघाट-जैनल-मानिला-डोटियाल-मरचूला राज्य मार्ग सं0-52 (लम्बाई-66 कि0मी0)		
10.	सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत निम्नलिखित मोटर मार्गों में दुर्घटना सम्भावित स्थानों में सुरक्षात्मक कार्य:-		590.83
	1. सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत पाण्डुखाल-रोहिड़ा-पंजियाणा मोटर मार्ग पर सुरक्षात्मक कार्य। (कि0मी0 1.000 से 21.000)	21.00	
	2. सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत बी0एम0बी0-तलवाड़ी मोटर मार्ग पर सुरक्षात्मक कार्य। (कि0मी0 1.000 से 14.000)		
	3. सड़क सुरक्षा वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत बछुवाबाण-चौखुटिया कुनीगाड मोटर मार्ग पर सुरक्षात्मक कार्य। (कि0मी0 1.000 से 16.000)	14.00	

11.	सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत कर्णप्रयाग नैनीसैण (किमी0-0.000 से 16.000) एवं सुनाली दशोली खाल भटियाणा (किमी0 0.000 से 14.600) मुख्य जिला मार्गों पर सुरक्षात्मक कार्य।	30.60	146.15
12.	सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत गौचर-सिदोली मोटर मार्ग (राज्य मार्ग-95) पर सुरक्षात्मक कार्य। (किमी0 0.000 से 24.500)	24.50	184.30
13.	सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत आदिबद्री-नौटी राज्य मार्ग सं0-93 पर सुरक्षात्मक कार्य। (किमी0 1.000 से 38.530)	38.53	383.62
14.	सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत कर्णप्रयाग धारडुंग्री मैखुरा कण्डारा सोनला राज्य मोटर सं0-94 पर सुरक्षात्मक कार्य। (किमी0 0.000 से 44.850)	44.85	381.28
15.	सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत कर्णप्रयाग नौटी पैठाणी राज्य मोटर सं0-34 पर सुरक्षात्मक कार्य। (किमी0 0.000 से 47.150)	47.15	227.09
16.	सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत प्रा0खण्ड, लो0नि0वि0, कर्णप्रयाग के अन्तर्गत विभिन्न मोटर मार्गों में साईनेज, रोड मार्किंग, डेलीनेटर एवं क्रैश बैरियर लगाने का कार्य। (किमी0 0.000 से 47.150)	71.54	678.41
17.	सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत राज्य मार्ग-35 जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी में रूद्रप्रयाग-पोखरी-गोपेश्वर मोटर मार्ग पर सुरक्षात्मक कार्य। (किमी0 36.00 से 58.00)	23.00	257.12
18.	सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी में पोखरी- विशालखाल -आली - काण्डई मोटर मार्ग पर दुर्घटना सम्भावित स्थलों पर डिफैक्ट कटिंग, ट्रैफिक साईनेज एवं क्रैश बैरियर लगाने का कार्य। (किमी0 01.00 से 16.00)	16.00	81.58
19.	सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी में जौरासी हापला कलसीर धोतीधार मोटर मार्ग पर दुर्घटना सम्भावित स्थलों पर ट्रैफिक साईनेज एवं क्रैश बैरियर लगाने का कार्य।	9.20	22.89
20.	सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी में नागनाथ लिंक मोटर मार्ग पर सुरक्षात्मक कार्य। (किमी0 0.00 से 1.750)	1.75	4.69
21.	सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत रूद्रप्रयाग- पोखरी- गोपेश्वर मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं0-35) में सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्य।	23.00	80.24
22.	सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत बिरही-गौणा मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं0-38) में सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्य।	13.00	288.17
23.	सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत लीसा फैंक्ट्री गोपेश्वर देवरखडोरा मोटर मार्ग में सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्य।	11.75	235.63
24.	सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत गोपेश्वर के आन्तरिक मोटर मार्ग सं0-01 में सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्य।	4.80	73.18
25.	सड़क सुरक्षा मद के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग में लो0नि0वि0, ऊखीमठ के अधीन विभिन्न राज्य मोटर मार्गों में सुरक्षा उपाय कार्यों क्रैश बैरियर, डेलीनेटर एवं साईन बोर्ड लगाने का कार्य।	116.51	362.92
26.	रोड सेफ्टी के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के बालीघाट दोफाड़ धरमधर कोटमन्या मोटर मार्ग के किमी0 68 से 73 में ब्लैक स्पॉट से इतर अन्य दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों में क्रैश बैरियर, लगाने का कार्य।	6.00	52.77
27.	सड़क सुरक्षा मद के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र कपकोट में बागेश्वर कपकोट तेजम मोटर मार्ग के किमी0 18.00 से दोफाड़ मोटर मार्ग (लं0- 15.00 किमी0) के दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों में क्रैश बैरियर, डेलीनेटर एवं पैरापिट लगाये जाने का कार्य।	16.00	60.31

28.	मा0 उच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालन में कार्य योजना के अन्तर्गत विकासखण्ड जौनपुर में विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के अन्तर्गत अगलाड-थत्यूड-अलमस बैण्ड मोटर मार्ग (मुख्य जिला मार्ग सं0-10) एवं नैनबाग- घोड़ाखुरी-ऐन्दी मोटर मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग सं0-16) राज्य सड़क सुरक्षा समिति द्वारा चिन्हित दुर्घटना सम्भावित स्थलों का सुरक्षात्मक कार्य।	31.00	382.00
29.	सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती में रायपुर-कुमाल्डा-कददूखाल के किमी0 9 से 37 (कुमाल्डा से आनन्द चौक) तक सुरक्षात्मक कार्य।	64.28	178.94
30.	सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती में विकास खण्ड जौनपुर के अन्तर्गत बड़ेथी- बनचौरा-बद्रीगाड मोटर मार्ग (राज्यमार्ग सं0-16) किमी0-55 से 94.200 तक राज्य सड़क सुरक्षा समिति द्वारा चिन्हित दुर्घटना सम्भावित स्थलों का सुरक्षात्मक कार्य।	41.20	54.54
31.	सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत कैम्पटी चडोगी (किमी0 0 से 1.25 तक) एवं कैम्पटीफॉल बाईपास (किमी0 01 से 5.750 तक) मोटर मार्ग में कैंश बैरियर व डेलीनेटर का कार्य।	7.00	117.72
32.	सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के ब्लाक चम्बा एवं थौलधार के विभिन्न राज्य मार्गों में आवश्यक सुरक्षात्मक कार्य।	20.00	330.72
33.	सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड थौलधार में सिलक्यारा बनगांव चापड़ा सरोट मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं0-72) सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्य।	22.10	71.87
34.	सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत नई टिहरी-जाख-डोबरा-भल्लियाना-कमांद (जाख नई टिहरी) मोटर मार्ग में आवश्यक सुरक्षात्मक कार्य।	8.50	107.13
35.	सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के ब्लाक थौलधार के छाम मैण्डखाल छाम (जसपुर) मोटर मार्ग में आवश्यक सुरक्षात्मक कार्य।	13.60	189.43
36.	सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत नागणी मंडाई जौल वाया जखोत सुदाड़ा देवरी नकोट नागदेव पथल्ड मोटर मार्ग (अन्य जिला मार्ग-18) मोटर मार्ग के किमी0 1.00 से 15.00 तक आवश्यक सुरक्षात्मक कार्य।	14.50	96.65
37.	सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल के अन्तर्गत विभिन्न प्रमुख जिला मार्गों में कैंश बैरियर लगाने का कार्य।	5.00	1333.93
38.	सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत चमडिया छियोडी धुरा (ओडीआर) मोटर मार्ग के किमी0 01 से 15.30 के मध्य प्रस्तावित सड़क सुरक्षा कार्य।	15.30	73.42
योग:-		1538.33	9304.50

- (i) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
- (ii) विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- (iii) कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।
- (iv) प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (v) ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
- (vi) निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- (vii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

- (viii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- (ix) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- (x) यदि संलग्न कार्यों में से किसी कार्य को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण नहीं किया जाएगा।
- (xi) स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्वोरमेन्ट रूल्स-2017 एवं उक्त विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य समस्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22 के लेखाशीर्षक-3054 सड़क तथा सेतु-03-राज्य मार्ग-337- सड़क निर्माण कार्य-05 सड़क सुरक्षा-0051 अनुरक्षण मद के अंतर्गत आपके निवर्तन में रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

भवदीय,



(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

